

**राजस्थान उच्च न्यायालय  
जयपुर बेंच**

डी.बी. कस्टम अपील संख्या 4/2024

राजेश कुमार वर्मा पुत्र स्व. राकेश वर्मा, निवासी 1/10899, सुभाष पार्क, न्यू शहादरा, दिल्ली – 110032

----अपीलकर्ता

बनाम

आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर, मुख्यालय जयपुर, एन.सी.आर. बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल सी-स्कीम,  
जयपुर-302005 (न्याय निर्णय शाखा)

----प्रतिवादी

---

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री एस.एल. शर्मा, अधिवक्ता  
श्री संतोष श्रीवास्तव, अधिवक्ता  
उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री किंशुक जैन, एडवोकेट

---

**माननीय श्रीमान जस्टिस अवनीश झिंगन**

**माननीय श्रीमान जस्टिस आशुतोष कुमार**

**आदेश**

**01/10/2024**

**अवनीश झिंगन. जे:-**

- यह आवेदन (डी.बी.सी.सी.सी. संख्या 659/2024) अपील दायर करने में देरी के लिए क्षमा हेतु दायर किया गया है।
- इसमें उल्लिखित कारणों से और प्रतिवादी के वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति के बावजूद, आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपील दायर करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।
- पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से कस्टम अपील पर आज ही बोर्ड में विचार किया जा रहा है।
- अपीलकर्ता ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 130 के तहत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में 'सीईएसटीएटी') के दिनांक 08.02.2021 के आदेश के खिलाफ यह सीमा शुल्क अपील दायर की है।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि 31.05.2019 को मेसर्स डीएसआर ओवरसीज के खिलाफ 72,21,717/- रुपये की मांग करते हुए न्यायनिर्णयन आदेश पारित किया गया था और अपीलकर्ता के भागीदार होने के नाते 65,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था और अन्य भागीदार सुनील कुमार दहिया के खिलाफ 27,00,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था। फर्म और भागीदार ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर

की। अपीलकर्ता द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर आवेदन कि जांच के दौरान जमा की गई 72,52,003/- रुपये की राशि को तीनों अपीलों के लिए पूर्व-जमा के रूप में माना जाए, 18.12.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया और अपीलकर्ता को पूर्व-जमा करने के लिए दो महीने का समय दिया गया। इसके बाद सीईएसटीएटी द्वारा एक और अवसर प्रदान किया गया और पूर्व-जमा करने में विफल रहने पर अपील 08.02.2021 को खारिज कर दी गई।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 129 ई के अनुसार पूर्व जमा राशि जमा कर दी गई है। 12.09.2024 के 4,87,500/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दिनांक 17.09.2024 को मुख्य लेखा अधिकारी, सीमा शुल्क आयुक्त, जयपुर के पास जमा कर दिया गया। 12.09.2024 के डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी और रसीद प्रतिवादी के अधिवक्ता को सौंप दी गई है।

7. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अवसर प्रदान करने के बावजूद अपीलकर्ता पूर्व-जमा करने में विफल रहा।

8. अपीलकर्ता की अपील पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई नहीं की गई और अधिनियम की धारा 129 ई का अनुपालन न करने के कारण उसे खारिज कर दिया गया। यह देखते हुए कि अब जमा राशि देर से ही सही, जमा कर दी गई है, अपील 5000 रुपये की लागत के अधीन स्वीकार की जाती है। यह मामला सीईएसटीएटी को भेजा जाता है ताकि वह इस बात से संतुष्ट होने पर कि धारा 129 ई का अनुपालन किया गया है, कानून के अनुसार अपील पर निर्णय ले सके।

(आशुतोष कुमार), जे  
एचएस/तनिषा/65

(अवनीश झिंगन), जे

रिपोर्ट योग्य:- हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है. एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



**Tarun Mehra**  
**Advocate**